<u>न्यायालयः—अमनदीप सिंह छाबड़ा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर,</u> <u>जिला बालाघाट(म०प्र०)</u>

प्रकरण कमांक 937 / 10 संस्थित दिनांक —08 / 12 / 10

म0प्र0 राज्य द्वारा, थाना बिरसा जिला बालाघाट म0प्र0

..... अभियोगी

/ / विरूद्ध / /

केशरसिंह पिता नसीबसिंह उम्र ४० वर्ष साकिन सिंघनपुरी थाना बिरसा जिला बालाघाट म०प्र०

. आरोपी

::निर्णय:

<u> [दिनांक 20 / 02 / 2017 को घोषित]</u>

- 1. अभियुक्त के विरूद्ध भा०दं०सं० की धारा 294, 323, 325, 506 भाग—दो, के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 21.11.10 को समय 12:30 बजे प्रार्थी धानूसिंह के खेत मकान के सामने लोक स्थान के समीप धानूसिंह को अशलील गालियां देकर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित कर प्रार्थी को पैरों से मारकर स्वेच्छया घोर उपहति कारित की तथा संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 2. अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी धानूसिंह के द्वारा सालेटेकरी चौकी में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज करायी कि घटना दिनांक को वह अपने खेत के मकान में सुअर को ढ़ांकने गया था। करीब 12:30 बजे दिन में खेत घर के सामने आरोपी केशरसिंह आया और बोला कि मादरचोद तू नीच है आज तुझे मिटा दूँगा कहकर पकड़कर मुह में एक लात व गर्दन में एक लात मारा जिससे नाक से खून निकलने लगा तथा सामने के दो दांत टूट गये। प्रेमसिंह व नसीबसिंह ने बीच बचाव किया था। आरोपी बोल रहा था कि आज बच गया तुझे जान से खत्म करके रहूँगा। प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध कायम कर दौरान विवेचना प्रार्थी का मुलाहिजा कराकर घटनास्थल का मौकानक्शा बनाकर गवाहों के कथन लेख किये गये। आरोपी को गिरफतार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
- 3. अभियुक्त ने निर्णय के चरण 01 में वर्णित आरोपों को अस्वीकार

कर अपने परीक्षण अंतर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० में यह प्रतिरक्षा ली है कि उसे पुरानी रंजिश वश झूठा फसाया गया है। कोई प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश नहीं की है।

- 4. प्रकरण के निराकरण के लिए विचारणीय प्रश्न यह है कि :--
 - (1) क्या आरोपी ने दिनांक 21.11.10 को समय 12:30 बजे प्रार्थी धानूसिंह के खेत मकान के सामने लोक स्थान के समीप धानूसिंह को अशलील गालियां देकर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित ?
 - (2) क्या आरोपी ने उक्त घटना समय व स्थान पर प्रार्थी / आहत धानूसिंह को पैर से गर्दन में मारकर स्वेच्छया उपहित कारित की ?
 - (3) क्या आरोपी ने उक्त घटना समय व स्थान पर प्रार्थी / आहत धानूसिंह को पैर से मुंह में मारकर दांत तोड़कर स्वेच्छया घोर उपहति कारित की ?
 - (4) क्या आरोपी ने उक्त घटना समय व स्थान पर प्रार्थी / आहत धानुसिंह को संत्रास करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

::सकारण निष्कर्ष::

विचारणीय प्रश्न कमांक 1

धानूसिंह (अ0सा0-1) का कहना है कि घटना पिछले वर्ष कार्तिक 5. अमावस्या को दिन के 12:00 बजे की है। वह अपने घर के दरवाजे को बंद कर रहा था तो उसी समय आरोपी आया और कृत्ते, सुअर की औलाद तेरी दाई को चोदू की गंदी गालियां दिया तो उसने आरोपी को कहा कि गालियां क्यों दे रहा है जिस पर आरोपी ने कहा कि तेरे जानवर ने नुकसान कर दिया है। साक्षी के अनुसार आरोपी की गालियां उसे सुनने में बुरी लगीं थीं। यद्यपि साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि गांव में आपस में काका भतीजा का रिश्ता होने से गाली देकर बात करते हैं तथापि आरोपी द्वारा उच्चारित शब्द निश्चित ही अश्लील हैं जिनसे आहत को क्षोभ हुआ होगा। क्योंकि उसने अपने मुख्य परीक्षण में उसे गालियां बुरी लगने के कथन किये हैं। साक्षी के कथन और मौकानक्शा प्र.पी.02 से घटनास्थल लोक स्थान होना दर्शित है। यद्यपि घटना के अन्य साक्षी प्रेमसिंह अ.सा.०३ तथा ललीता अ.सा.०५ उक्त संबंध में पक्षद्रोही रहे हैं। तथापि साक्षी की साक्ष्य उक्त संबंध में अखण्डनीय है जिस पर अविश्वास का कोई कारण नहीं है। परिणामस्वरूप यह सिद्ध होता है कि घटना के समय आरोपी द्वारा परिवादी धानूसिंह को अश्लील गालियां देकर क्षोभ कारित किया।

विचारणीय प्रश्न कमांक 2, 3 एवं 4

साक्ष्य की पुनरावृति को रोकने तथा सुविधा हेतु उक्त तीनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

- धानूसिंह (अ०सा0-1) का कहना है कि घटना के समय घर का दरवाजा बंद करने के दौरान आरोपी द्वारा आकर उसे गालियां दी गयीं। उसके मना करने पर आरोपी ने कहा कि तेरे जानवर ने नुकसान कर दिया है। उसके द्वारा नुकसान का पैसा देने की बात पर आरोपी ने कहा कि तू क्या पैसा देगा कहकर मारने लगा। तो पडोस के प्रेमसिंह एवं उसकी पत्नी ने आकर बीच बचाव किये। फिर वह जब अपनी साईकिल निकालने लगा तो आरोपी ने उसे नाक एवं मुह में लात से मारा। जिससे उसकी नाक से खून निकलने लगा और उसके नीचे का दांत टूट गया। तब आरोपी के पिता नसीबसिंह ने आकर बीच बचाव किया। आरोपी ने उसे जो गालियां दी वह सुनने में बुरी लगीं। फिर उसके दूसरे दिन उसने जाकर थाने में रिपोर्ट प्र.पी.01 दर्ज कराया जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसका मुलाहिजा करवाया था। पुलिस ने मौके पर आकर उसकी निशांदेही पर घटनास्थल का मौकानक्शा प्र. पी.02 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 से साक्षी के कथनों की पुष्टि होती है। यद्यपि साक्षी के कथन और प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र. पी.01 में मामूली विरोधाभास है परंतु उक्त विरोधाभास तात्विक नहीं है। जिससे अभियुक्त को किसी प्रकार की सहायता मिलती हो क्योंकि आरोपित अपराध के संबंध में साक्षी के कथन अखंण्ड्नीय हैं।
- 7. प्रेमसिंह(अ०सा0—3) ने घटना का आंशिक समर्थन किया है जिसके अनुसार घटना दिनांक को आरोपी एवं आहत के बीच झगड़ा हो रहा था। केशरसिंह धानुसिंह को हाथ से मारपीट कर था, तो उसने बीच बचाव किया था। आहत धानुसिंह के नाक से खून निकल रहा था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने पुलिस को प्र.पी. 03 के कथन देने से इंकार किया है। यद्यपि साक्षी ने गाली देने तथा जान से मारने की धमकी देने तथा आरोपी द्वारा लात से मारने वाली घटना से इंकार किया है। तथापि साक्षी के कथनों से मूल अपराध की पुष्टि होती है। जिसके संबंध में उसकी साक्ष्य अखण्ड़नीय है। जिन पर अविश्वास का कोई कारण नहीं है।
- 8. ललीता(अ०सा०–5) पक्षद्रोही रही है जिसने घटना से इंकार किया है। साक्षी के अनुसार जब वह घर से निकली तो देखा कि आरोपी व प्रार्थी का

विवाद होने के उपरांत जमीन पर धानुसिंह पड़ा हुआ था, उसने पानी का छींटा मारा था, उसके बाद होश आने पर वह अपने घर चला गया था। पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की थी। सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने स्वीकार पुलिस को प्र.पी.11 के बयान देने से इंकार किया है। उक्त साक्षी के कथनों से भी घटना के समय आरोपी एवं आहत के विवाद के तथ्य की पृष्टि होती है।

- 9. डां. एम मेश्राम (अ०सा०—2) का कहना है दिनांक 21.11.2010 को सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र बिरसा में चौकी सालेटेकरी से आरक्षक द्वारा आहत धानुसिंह पिता यशवंत मुलाहिजा परीक्षण हेतु लाने पर परीक्षण कर उसने नाक के मध्य भाग पर सूजन बायें नाक के छिद्र में खून जमा हुआ था तथा मुह में नीचे का प्रथम इंसीजर दांत नहीं पाया था जिसकी जड़ में खून लगा था। साक्षी के अनुसार आहत को सभी चोटे कड़ी व बोथरी वस्तु से आना संभावित थीं जो परीक्षण के दो से छः घण्टे पूर्व की थीं उसने दांत की चोट के अभिमत हेतु आहत को दांत रोग विशेषज्ञ की सलाह हेतु बालाघाट रिफर किया था। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.03 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी के कथनों से घटना के समय आहत को चोटें आना सिद्ध होता है।
- 10. डां. एम.पी.अरोरा(अ०सा०—6) का कहना है दिनांक 22.11.2010 को जिला चिकित्सालय बालाघाट में चौकी सालेटेकरी से आरक्षक द्वारा आहत धानुसिंह पिता यशवंत को मेडीकल आफीसर बिरसा के द्वारा रिफर करने पर मुलाहिजा हेतु लाया गया थाजिसके परीक्षण पर उसने बायें तरफ के सेंट्रल और लेटरल दांत में दर्द पाया था। दाहिने और के निचले जबड़े के सेंट्रल और लेटरल दांत मुह में मौजूद नहीं थे। परंतु उक्त स्थान पर किसी भी चोट के या दांत निकलने के या खून के जमा होने के या सूजन आने के निशान मौजूद नहीं थे। साक्षी के मतानुसार आहत के मुह में किसी भी ताजे दांत के टूटने के निशान नहीं थे। आहत के बायें तरफ के दातों को दबाने से दर्द है जो एक साधारण चोट है जो किसी कठोर एवं बोथरी वस्तु से आना संभावित है। उक्त परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.12 है जिसके के ए से ए भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर है। साक्षी के कथनों से आहत को गंभीर उपहति न होकर साधारण उपहित दर्शित होती है।
- 11. जैनेन्द्र उपराडे(अ०सा०—7) का कहना है कि दिनांक 21.11.10 को पुलिस चौकी सालेटेकरी में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थापना के दौरान उसके द्वारा धानूसिंह की मौखिक सूचना पर आरोपी केशरसिंह के विरूद्ध धारा 294, 323, 506बी भा.दं.सं. का अपराध शून्य पर कायम कर असल नम्बरी हेतु थाना बिरसा भिजवाया था जो प्र.पी.01 है जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा धानूसिंह का मुलाहिजा फार्म भरकर अस्पताल बिरसा भिजवाया गया था।
- 12. लखन भिमटे(अ.सा.०८) का कहना है कि दिनांक 22.11.10 को पुलिस थाना बिरसा में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थापना के दौरान पुलिस चौकी सालेटेकरी से अपराध कमांक 0/10 धारा 294, 323, 506बी भा.दं.सं. की असल कायमी हेतु प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राप्त होने पर अपराध कमांक 135/10 धारा 294, 323, 506बी भा.दं.सं. का अपराध पंजीबद्ध किया था जो प्र.

पी.02 है जिसके ए से ए भाग पर सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर हैं। ततपश्चात विवेचना हेतु थाना प्रभारी को प्रस्तुत किया था।

- 13. आर.एस. सिंगरोरे (अ०सा०—4) का कहना है कि दिनांक 25.11.10 को चौकी सालेटेकरी थाना बिरसा में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थापना के दौरान उसके द्वारा अपराध कमांक 135/10 धारा के मामले में धानुसिंह मरकाम की निशांदेही पर मौकानक्शा प्र.पी.02 तैयार किया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को गवाह नसीबसिंह, प्रेमसिंह, कविताबाई के एवं दिनांक 22.11.10 को प्रार्थी धानुसिंह के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया था। दिनांक 25.11.10 का आरोपी केशरसिंह को गवाहों के समक्ष गिरफतार कर गिरफतारी पत्रक प्र.पी.10 तैयार किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके एवं बी से बी भाग पर आरोपी केशरसिंह के हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा विवेचना पूर्ण कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।
- 14. उरोक्त साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि घटना के समय आरोपी द्वारा आहत धानूसिंह को अश्लील गालियां देकर क्षोभ कारित किया तथा उसे मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की। क्योंकि परिवादी द्वारा आरोपी को किसी प्रकार का प्रकोपन देने के तथ्य प्रकरण में उपलब्ध नहीं हैं।
- 15. प्रकरण में अभियुक्त द्वारा जान से मारने की धमकी देकर अभित्रास कारित करने के संबंध में लेश मात्र भी तथ्य उपलब्ध नहीं हैं तथा किसी भी साक्षी ने उक्त संबंध में कोई कथन नहीं किये है। अतः अभियुक्त को धारा 325, 506 भाग—दो भा0द0सं0 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- 16. अभियुक्त को धारा 294, 323 भा०द०सँ० के तहत दण्डनीय अपराध से दोषसिद्ध किया जाता है।
- 17. दण्ड के बिंदु पर अभियुक्त को सुनने के लिए निर्णय स्थिगत किया गया।

(अमनदीप सिंह छाबड़ा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर बालाघाट म0प्र0

18. दण्ड के बिंदु पर अभियुक्त की ओर से तर्क किया गया है कि प्रकरण विगत सात वर्षों से लंबित है, जिसमें वह नियमित रूप से उपस्थित होता रहा है। वह प्रथम अपराधी हैं तथा परिवार का इकलौता कमाने वाला व्यक्ति है जिस पर सम्पूर्ण परिवार आश्रित है। अतः उसके विरूद्ध नर्म रूख किया जावे। तर्को पर विचार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध किसी पूर्वतन

दोषसिद्धि का कोई प्रमाण अभिलेख पर नहीं है। प्रकरण विगत सात वर्षों से न्यायालय में लंबित है। जिसमें अभियुक्त उपस्थित होता रहा है। लेकिन उसने जिस तरह से घर के सामने परिवादी को क्षोभ कारित कर उससे मारपीट कर उपहित कारित की है उसे देखते हुए उसं अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 के प्रावधानों का लाभ देना या उनके विरुद्ध नर्मरूख लिया जाना उचित नहीं होगा। अपितु उन्हें एक शिक्षाप्रद दण्ड देना उचित होगा। अतः अभियुक्त केशरसिंह पिता नसीबसिंह को धारा 294 भा.दं०सं० में दोषी पाकर 500/—(पांच—सौ) रूपये के अर्थदंण्ड़ तथा धारा 323 भा0द0सं० में दोषी पाकर न्यायालय उठने तक के कारावास व 500/—(पांच—सौ) रूपये अर्थदण्ड से दिण्डत किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर प्रत्येक राशि हेतु एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगताया जावे।

- 19. अर्थदण्ड की संपूर्ण राशि धारा 357(1)(बी) दं0प्र0सं0 के तहत परिवादी धानूसिंह पिता यशवंतसिंह को अपील अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात, अपील न होने की दशा में, अदा की जावे। अपील होने पर मान्नीय अपील न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही की जावे।
- 20. प्रकरण में अभियुक्त अभिरक्षा में नहीं रहा है। इस के बारे में धारा 428 दं0प्र0सं0 के तहत प्रमाण पत्र बनाकर लगाया जावे।
- 21. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं है।
- 22. अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
- 23. अभियुक्त को इस निर्णय की एक प्रतिलिपि धारा 363(1) दं०प्र0सं० के तहत निशुल्क दी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया।

(अमनदीप सिंह छाबड़ा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर, बालाघाट (म.प्र.) (अमनदीप सिंह छाबड़ा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर, बालाघाट (म.प्र.)